उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो०-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो०-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो०- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो०-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो०-9415259239
इंगिता पाण्डेय
मो०-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो०-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो०-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो०-9473979630

पत्रांक 27/2019 दिनांक 25.7.19

सेवा में,

प्रमुख सचिव (आबकारी)

उत्तर प्रदेश शासन ,

लखनऊ |

विषय : प्रदेश में नवसृजित / कार्यरत आसवनी / यवासवनी में अपेक्षित सहायक आबकारी आयुक्त के पदों का सृजन कराने विषयक |

महोदय ,

किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता उनकी संतुष्टि तथा मनोबल के स्तर से भी प्रभावित होती है | उच्च पद के प्राप्त होने पर उस पद का वेतनमान / दायित्व तथा नया पदनाम पदोन्नत कार्मिक को देय होते हैं | इससे कर्मचारी की प्रतिष्ठा तथा संतुष्टि दोनों का स्तर ऊंचा होता है |

सादर अवगत कराना है कि वर्तमान में आबकारी निरीक्षकों के कुल 759 पद स्वीकृत हैं | निरीक्षकों की प्रोन्नति के पद- सहायक आबकारी आयुक्त, के कुल 192 पद ही स्वीकृत होने के कारण निरीक्षक संवर्ग के समक्ष प्रोन्नति के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं | ज्येष्ठता सूची के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रोन्नति हेतु निर्धारित 15 वर्ष की अर्हता अवधि पूर्ण कर लेने वाले 51 आबकारी निरीक्षक प्रोन्नति के लाभ से अभी वंचित चल रहे हैं | जिसमे वर्ष 2000 बैच के 22 आबकारी निरीक्षक भी सम्मिलित हैं जबकि शेष 29 निरीक्षक वर्ष

Scanned with CamScanner

2002 बैच के हैं | इन सभी आबकारी निरीक्षकों की वर्तमान में औसत आयु 47 वर्ष हो गयी है | ज्येष्ठता सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उच्चाधिकारियों की सेवानिवृत्ति से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां आगामी तीन वर्षों तक वर्ष 2000 बैच के शेष 22 निरीक्षकों को ही समायोजित कर सकेंगी तत्पश्चात वर्ष 2002 बैच के सदस्यों का क्रम प्रारम्भ होगा अर्थात औसतन 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त ही इन निरीक्षकों को प्रथम प्रोन्नति का अवसर मिलेगा | ध्यातव्य है कि आबकारी निरीक्षक का पद समूह ख श्रेणी का राजपत्रित पद है जिस पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के माध्यम से ही होती है | प्रवर अधीनस्थ श्रेणी की अन्य सेवाओं में नौकरी प्रारम्भ करने वाले अन्य सदस्य बहुत पहले ही प्रथम प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हैं |

प्रोन्नति की उपरोक्त विकट परिस्थिति के कारण आबकारी निरीक्षकों में अत्यंत ही निराशा का माहौल है एवं ये वरिष्ठ निरीक्षक गिरे हुए मनोबल से कार्य करने को विवश हैं | सदस्यों की इस पीड़ा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सादर अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में सहनुभूतिपूर्वाक विचार कर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें |

इस समस्या के निराकरण हेतु संघ महोदय के संज्ञान में लाना चाहता है कि वर्तमान में प्रदेश में कई आसवनियाँ / यवासवनियां कार्यरत हैं जिसमे सहायक आबकारी आयुक्त की तैनाती तो है परन्तु उन इकाइयों में पद का सृजन अभी नहीं हो सका है | यदि इन इकाइयों में सहयाक आबकारी आयुक्त के पदों का सृजन कर दिया जाए तो इकाइयों के कुशल पर्यवेक्षण के साथ-साथ निरीक्षकों के प्रोन्नति के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे |

Scanned with CamScanner

वर्तमान में निम्न आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त के पद सृजित नहीं हैं-

1-डी.एस.सी.एल. हरियावां हरदोई

2-एल.एच. सुगर मिल -आसवनी-पीलीभीत

3-निगोही आसवनी, शाहजहांपुर

4-त्रिवेणी इन्जी.-साबितगढ़ बुलंदशहर

5-राणा शुगर्स -बेलवांडा मुरादाबाद

6-किसान सहकारी चीनी मिल -आसवनी सठियाव आजमगढ़

7- किसान सहकारी चीनी मिल -आसवनी,स्नेह रोड बिजनोर

8- सिंथेटिक्स बरेली

9-ओसवाल शाहजहांपुर

10-विजयश्री मथुरा

इसी प्रकाए निम्न 3 यवासवानियो में भी पृथक रूप से सहायक आबाकरी आयुक्त का पद सृजित नहीं है-

1-मोहन गोल्ड वाटर ,उन्नाव

2-वेव ,अलीगढ

3-मोहन मीकिन्स ग़ाज़ियाबाद

यदि उपरोक्त इकाइयों में सहायक आबकारी आयुक्त के पद सृजित किये जाते हैं तो इन इकाइयों का प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ संवर्ग के वरिष्ठ सदस्यों को प्रोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकेगा |

उपरोक्त प्रस्ताव का शासन के मितव्ययिता सम्बन्धित निर्गत शासनादेश के आलोक में परीक्षण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त कर चुके 2000 बैच के आबकारी निरीक्षक एव आगामी वित्तीय स्तरोंन्नयन बैठक में लाभ प्राप्त करने जा रहे 2002 बैच के आबकारी निरीक्षकों को मिलने वाला वेतन सहायक आबकारी आयुक्त के पद के समतुल्य ही है | अतः उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर इन वरिष्ठ निरीक्षकों के पद उच्चीकृत कर इन इकाइयों का प्रभार सौपने पर कोई अतिरिक्त वितीय भार नहीं आयेगा | ऐसा करने से न केवल इन वरिष्ठ निरीक्षकों का मनोबल बढेगा वरन कार्यकुशलता एवं अनुभव का लाभ विभाग को मिलेगा |

Scanned with CamScanner

वितीय भार नहीं आयेगा | ऐसा करने से न केवल इन वरिष्ठ निरीक्षकों का मनोबल बढेगा वरन कार्यकुशलता एवं अनुभव का लाभ विभाग को मिलेगा |

उपरोक्त के क्रम में निवेदन है कि कृपया उपरोक्त आसवनियों / यवासवनियों में एवं भविष्य में स्थापित होने वाली अन्य नयी इकाइयों में सहायक आबकारी आयुक्त के पद का सृजन कर निरीक्षक संवर्ग को प्रोन्नति का आयाम उपलब्ध कराने की महती कृपा करें | संघ सदैव आपका आभारी रहेगा |

भवदीय

25/7/19

(अतुल त्रिपाठी)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner